राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9 (4) उ.मैछा./2017–18/ सान्याअवि/1099 - 1133 जयपुर, दिनांक 16/7/18

उप निदेशक/सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
...................................(समस्त)

विषय : वर्ष 2017–18 में अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के ओ.बी.सी. श्रेणियों के आवेदन पत्रों के संबंध में मार्गदर्शन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के संशोधित आदेश क्रमांक 86007 दिनांक 14.12.2017 में वर्ष 2017–18 हेतु नवीन छात्रवृति पोर्टल 2017–18 पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में पेपरलैस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। उक्त दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) {छात्र–छात्रा अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग का ना हो} उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में रू. 1.00 लाख तक की आय सीमा वाले 17 प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों से ही आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

इस संबंध में कतिपय विभागीय जिलाधिकारियों द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राऐं जो अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाईन आवेदन पत्र विभाग को प्रस्तुत किये हैं, उनको छात्रवृति स्वीकृत की जावे अथवा नहीं, के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2017–18 के ऑनलाईन छात्रवृति पोर्टल पर अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी जिनके जाति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से अन्य पिछड़ा वर्ग में जारी किये गये हैं, ऐसे ओ.बी.सी. अल्पसंख्यक समुदाय में 17 प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों की ऑनलाईन छात्रवृति स्वीकृति करते समय विद्यार्थियों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि उनके द्वारा वर्ष 2017–18 में अल्पसंख्यक छात्रवृति पोर्टल पर छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। जिला कार्यालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक श्रेणी से संबंधित विद्यार्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने उपरांत ही उन्हें नियमानुसार **''पहले आओ पहले पाओ''** **(FIFO)** के आधार पर वर्ष 2017–18 के ओ.बी.सी. वर्ग में उपलब्ध बजट के आधार पर छात्रवृति का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

Scanned by CamScanner

क्रमांक : एफ 9 (4) उ.मैछा./2017-18/ सान्याअवि/ 1134-1234 जयपुर, दिनांक 16/7/18

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राज. जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग, जयपुर।
7. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर।
8. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, (माध्यमिक/प्राथमिक) जयपुर।
9. आयुक्त कॉलेज शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर
10. निदेशक, माध्यमिक/प्राथमिक /संस्कृत शिक्षा बीकानेर, जोधपुर, जयपुर।
11. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर
12. निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर
13. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान।
14. जिला कलेक्टर (समस्त)
15. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास
16. अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास), मुख्यावास।
17. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
18. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
20. कोषाधिकारी समस्त.................
21. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, (समस्त)..........
22. प्रबन्ध निदेशक/रजिस्ट्रार/निदेशक, (राज्य से बाहर की राजकीय/एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थान...............................
23. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), समस्त/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, समस्त.......
24. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समस्त...............
25. प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त...............
26. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त...............
27. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाऐं.................
28. प्रोग्रामर, मुख्यावास को उपरोक्तानुसार बेवसाइड पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
29. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु ।
30. प्रभारी अधिकारी (समस्त) निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
31. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त). को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र को आपके जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
32. सहायक निदेशक (शिक्षा),सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

Scanned by CamScanner